न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : जयसिंहपुरा, कैम्प दिनांक 20.06.2018

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

Web Copy Not Official

राजस्व वाद संख्या :– 108/2011 दायर तारीख 17.11.2011

1. हनुमान दास पुत्र मूलादास जाति स्वामी निवासी जयसिंहपुरा, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर। —— **वादी**

बनाम

1. महेश कुमार } पुत्रान रामनाथ दास
2. फूलचन्द }
3. दिनेश देवी पत्नी रणजीत
4. पंकज } पुत्रान रणजी } नाबालिक जरिए प्राकृतिक संरक्षक माता दिनेश देवी पत्नी रणजीत
5. प्रदीप }
6. लक्ष्मी पुत्री रणजीत }
7. गुड्डी देवी पत्नी भोला
8. गोपाल पुत्र भोला } नाबालिक जरिए प्राकृतिक संरक्षक माता गुड्डी देवी पत्नी भोला
9. ज्योति } पुत्रियां भोला }
10. सन्दीप }
11. फतेह चन्द } पुत्रान बिहारी दास
12. दीपू }
13. विमला देवी पत्नी सुरजदास
14. शंकर } पुत्रान सुरजदास
15. सम्पत }

(क्रमांक 1 से 15) समस्त जाति स्वामी निवासी जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर

16. सुमित्रा पुत्री सुरजदास पत्नी बोदूराम
17. मूर्ति पुत्री सुरजदास पत्नी भैंरू
18. कृपा पुत्री सुरजदास पत्नी प्रकाश
19. मुनेश पुत्री सुरजदास पत्नी रोताश

(क्रमांक 16 से 19) जाति स्वामी निवासी पण्डितपुरा तहसील कोटपूतली

20. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
21. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर तहसील विराटनगर
22. पटवारी, पटवार हलका जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित : श्री गोपाल टांक, अधिवक्ता वादी
श्री मदनलाल जाट, अधिवक्ता प्रतिवादीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

<u>निर्णय दिनांक 20.06.2018</u>

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जयसिंहपुरा के खसरा नम्बर 1388/1.40, 1389/0.01, 1390/0.66 हैक्टेयर किता 3 रकबा 2.07 हैक्टेयर में हिस्सा 1/4 वादी, हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10, हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 11, 12 तथा हिस्सा 1/4 प्रतिवादी 13 लगायत 19 के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है, बल्कि आपसी सहमति से भूमि के ऊपजाऊपन के आधार पर नरस–सरस से बांट रखा है तथा अपने–अपने हिस्सानुसार काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 ने बाहमी बंटवारे से अपने हिस्से की भूमि में अपने रहने के लिए कच्चे–पक्के मकान तथा दो पक्की दुकाने बना रखी है तथा अपने मकानों के पास में एक बोरिंग भी बना रखा है। प्रतिवादीगण, वादी से मनमुटाव रखने लगे हैं तथा बिना कानूनी बंटवारा कराये आराजी मुतनाजा को बेचान करने की धमकी देते हैं। अतः निवेदन है कि ग्राम जयसिंहपुरा के खसरा नम्बर 1388/1.40, 1389/0.01, 1390/0.66 हैक्टेयर किता 3 रकबा 2.07 हैक्टेयर कानूनी बंटवारा किया जाकर पृथक से बटा नम्बर डालकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमया जावे कि वादी को बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बर/रकबा का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें।
2. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 208 संवत् 2063–2066 पेश की।
3. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर, प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब दावा पेश किया।
4. प्रतिवादीगण का जवाब रहा कि आराजी मुतनाजा को अलमशुहर पिपली वाली के नाम जानी जाती है तथा अलमशुहर बरडा वाली व पिछोकडा वाली एवं पण्डा वाली जमीन का वादी व प्रतिवादीगण के बुजुर्गो ने आपसी सहमति से करीब 40 वर्ष पहले बाहमी बंटवारा कर लिया था। उक्त बाहमी बंटवारे में वादग्रस्त आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 व प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 19 के हक व हिस्से में तथा पण्डाली

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाली जमीन वादी एवं प्रतिवादीगण सभी के हक व हिस्से में तथा बरडा वाली जमीन व पिछोकडा वाली जमीन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 11, 12 के हिस्से में आयी हुई है। सभी पक्षकारान उक्तानुसार अपनी–अपनी जमीन पर काबिज काश्त है, लेकिन जुलाई 2009 में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आराजी मुतनाजा के संबंध में विवाद हो गया था, जिस पर समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने आपस में सुलह करवाकर उपरोक्त वर्णित आराजी मुतनाजा के संबंध में दिनांक 13.07.2009 को लिखावट लिखी गई थी, असल लिखावट घींसा सिंह राजपूत निवासी बहादुरपुरा के पास है, जिसे तलब किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। उक्त बंटवारे की लिखावट के मुताबिक भी वादी का वादग्रस्त आराजी अथवा उसके किसी भाग पर कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा न ही वादग्रस्त आराजी पर वादी का कोई हक अधिकार है।

5. प्रतिवादीगण का अतिरिक्त कथन रहा कि आराजी खसरा नम्बर 1388/1.40, 1389/0.01, 1390/0.66 हैक्टेयर सम्पूर्ण पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 व 13 लगायत 19 चालीस वर्ष से काबिज काश्त है। वादी व प्रतिवादी संख्या 11, 12 का उक्त आराजी में 40 वर्ष से कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा न ही कोई हक अधिकार है।
आराजी मुतनाजा व अन्य आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण के बुजुर्गो के मध्य 40 वर्ष पहले बाहमी बंटवारा हुआ था, जिसके अनुसार आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 व 13 लगायत 19 के बुजुर्गो व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 व 13 लगायत 19 के हक अधिकार एवं कब्जेकाश्त मे रही है तथा आराजी मुजनाजा का लगान भी प्रतिवादी जमा करवाते आ रहे है। इस कारण आराजी मुतनजा के सम्पूर्ण भू–भाग का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 व 13 लगायत 19 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना एवं उक्त आराजी की खातेदारी से वादी व प्रतिवादी संख्या 11, 12 का नाम हजफ किया जाना न्यायसंगत है। अतः निवेदन है कि वादी का वादपत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादी का प्रतिदावा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 व 13 लगायत 19 को ग्राम जयसिंहपुरा के हाल खसरा नम्बर 1388/1.40, 1389/0.01, 1390/0.66 हैक्टेयर सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

6. प्रतिवादी ने अपने प्रतिदावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फोटोप्रति लिखावट दिनांक 13.07.2009, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 2013 संवत् 2067–2070, नकल जमाबन्दी (खतौनी) खाता संख्या 233 संवत् 2067–2070 आदि पेश किये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. प्रतिवादी के प्रतिदावा का जवाब रहा कि ग्राम जयसिंहपुरा के हाल खसरा नम्बर 1388/1.40, 1389/0.01, 1390/0.66 हैक्टेयर के हिस्सा 1/4 पर वादी काबिज काश्त है। आराजी मुतनाजा वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी भूमि है। पक्षकारों के मध्य 40 वर्ष पूर्व कभी कोई बंटवारा नहीं हुआ है। ग्राम जयसिंहपुरा के हाल खसरा नम्बर 1027/0.10, 1028/0.66, 1426/0.12, 1427/0.28, 1428/0.02, 1429/0.27, 1430/0.21, 2573/1.20, 2574/0.17 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 3.03 हैक्टेयर जो अलमशहूर बरडावाली, पण्डाली व पिछोकडावाली के नाम से जानी जाती है, यह भूमि मूर्ति मंदिर श्री गोपीनाथ जी की खातेदारी मे है, जिसकी सेवा–पूजा वादी करता आ रहा है। मंदिर की भूमि किसी की भी खातेदारी मे दर्ज नहीं की जा सकती है। उक्त मूर्ति मंदिर की भूमि पर वादी के अलावा सभी प्रतिवादीगण आपसी सहमति से काश्त कर रहे है। उक्त भूमि का कभी कोई बंटवारा नहीं हुआ है। अतः प्रतिवादीगण का प्रतिदावा मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

8. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार प्रकरण में तनकीयात कायम की गई।

1. आया वाके ग्राम जयसिंहपुरा के खसरा नम्बर 1388/1.40, 1389/0.01, 1390/0.66 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में वादी 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी 11 व 12 हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी 13 से 19 हिस्सा 1/4 खातेदार काश्तकार है ? —— जिम्मे वादी

2. आया आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है, वादी कानूनी बंटवारा कराने के अधिकारी हैं (सरस–नरस के आधार पर) ?
—— जिम्मे वादी

3. आया वादी बंटवारे में प्राप्त अपने हिस्से पर दखल नहीं करने बाबत प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है ?
—— जिम्मे वादी

4. आया आराजी मुतनाजा अलमशहूर पिपली वाली से जानी जाती है, अलमशहूर बरडावाली, पिछोकडावाली, पण्डाली जमीन का वादी व प्रतिवादीगण के बुजुर्गो के मध्य बाहमी बंटवारा हुआ था, जिसमें वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 व प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 19 के हक हिस्से में तथा पण्डाली जमीन वादी एवं प्रतिवादीगण सभी के हिस्से में तथा बरडावाली व पिछोकडावाली जमीन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 11 व 12 के हिस्से में आयी है ?
—— जिम्मे प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. आया वादग्रस्त आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 11, 12 का कोई हक अधिकार नहीं है, न ही कब्जा काश्त है ? —— जिम्मे प्रतिवादीगण
6. आया खसरा नम्बर 1388/1.40, 1389/0.01, 1390/0.66 हैक्टेयर पर अर्सा 40 वर्ष पूर्व बाहमी बंटवारे के समय से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 व 13 लगायत 19 काबिज काश्त चले आ रहे है ? वादी व प्रतिवादी संख्या 11, 12 का आराजी मुतनाजा से कोई संबंध नहीं रहा है। वादी वादग्रस्त आराजी का कानूनी बंटवारा कराने के अधिकारी नहीं हैं ? —— जिम्मे प्रतिवादीगण
7. आया आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण को बाहमी बंटवारे में प्राप्त हुई है, वादी का कोई संबंध नहीं है, इस कारण वादी उक्त आराजी के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त के अधिकारी नहीं है ?

—— जिम्मे प्रतिवादीगण

9. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट जयसिंहपुरा में मजमा–ए–आम राजीनामा से प्रकरण का निस्तारण कराने हेतु पेश हुई। उपस्थित उभय पक्षकारान को सुना गया।
10. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों, का अवलोकन किया गया। वस्तुतः ग्राम जयसिंहपुरा के हाल खसरा नम्बर 1388/1.40, 1389/0.01, 1390/0.66 हैक्टेयर में हिस्सा 1/4 वादी, हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10, हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 11, 12 तथा हिस्सा 1/4 प्रतिवादी 13 लगायत 19 के नाम दर्ज रिकार्ड है, अर्थात आराजी मुतनाजा उभय पक्षकारान की शामलाती सहखातेदारी भूमि है। जहां, तक उभय पक्षकारान के मध्य 40 वर्ष पूर्व हुए बाहमी बंटवारे का प्रश्न है, उसके संबंध यह कि आराजी खसरा नम्बर 1027/0.10, 1028/0.66, 1426/0.12, 1427/0.28, 1428/0.02, 1429/0.27, 1430/0.21, 2573/1.20, 2574/0.17 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 3.03 हैक्टेयर जो अलमशहूर बरडावाली, पण्डाली व पिछोकडावाली के नाम से जानी जाती है, यह भूमि मूर्ति मंदिर श्री गोपीनाथ जी की खातेदारी मे है, जिसका पक्षकारान के मध्य कानूनी बंटवारा किया जाना न्यायसंगत नहीं हैं, क्योंकि मंदिर की भूमि किसी की भी खातेदारी मे दर्ज नहीं की जा सकती है।
11. प्रकरण आराजी खसरा नम्बर 1388/1.40, 1389/0.01, 1390/0.66 हैक्टेयर, जो उभय पक्षकारान की सहखातेदारी भूमि है का कानूनी बंटवारा किये जाने संबंधित है, जिसके संबंध में राजस्व लोक अदालत कैम्प जयसिंहपुरा दिनांक 17.06.2016 को तहसीलदार विराटनगर से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नरस–नरस के आधार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की तहरीर जारी की गई तथा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 अभियान कैम्प कोर्ट जयसिंहपुरा दिनांक 20.06.2018 को तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के राजस्व मण्डल नियम 18 से 22 अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। उक्त बंटवारा प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया गया है तथा पक्षकारान ने सहमति स्वरूप अपने–अपने हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी भी की है। पक्षकारान की सहमति होने उपरान्त प्रकरण में तनकीवार विवेचन अपेक्षित नहीं रहा है। अतः राजस्व लोक अदालत की मंशा अनुरूप प्रकरण मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाना न्यायसंगत पाता हूॅं।

12. परिणामतः वादी वादपत्र के माध्यम से चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।

<u>आदेश</u>

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर
1	महेश कुमार, फूलचन्द पिता रामनाथदास हिस्सा 1/2,दिनेश देवी पत्नी रणजीत, पंकज, प्रदीप पिता रणजीत, लक्ष्मी पुत्री रणजीत हिस्सा 1/4, गुड्डो पत्नी भोला, गोपाल पिता भोला, ज्योति, सन्दीप पुत्री भोला हिस्सा 1/4	1388/0.5150 हैक्टेयर
2	विमला देवी पत्नी सूरजदास, शंकर, सम्पत पिता सूरजदास, सुमित्रा, मूर्ति, कृपा, मुनेश पुत्री सूरजदास	1988/1/0.5150 हैक्टेयर
3	हनुमानदास पिता मूलादास	1388/2/0.25, 1390/0.2650 हैक्टेयर किता 2 रकबा 0.5150 हैक्टेयर
4	फतेहचन्द, दीपू पिता बिहारीदास	1388/3/0.12, 1390/1/0.3950 हैक्टेयर किता 2 रकबा 0.5150 हैक्टेयर
5	शामलाती जमाबन्दी खाता 242 अनुसार	1389/0.01 हैक्टेयर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि बैंक रहन हो, तो संबंधित पक्षकार को बंटवारे में प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 20.06.2018 को मजमा–ए–आम कैम्प जयसिंहपुरा में सुनाया

(मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

आज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत

कैम्प कोर्ट जयसिंहपुरा **दिनांक 20.06.2018**

बइजलास :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. हनुमान दास पुत्र मूलादास जाति स्वामी निवासी जयसिंहपुरा, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर। **—— वादी**

बनाम

1. महेश कुमार } पुत्रान रामनाथ दास
2. फूलचन्द
3. दिनेश देवी पत्नी रणजीत
4. पंकज } पुत्रान रणजी } नाबालिक जरिए प्राकृतिक संरक्षक माता दिनेश देवी पत्नी रणजीत
5. प्रदीप
6. लक्ष्मी पुत्री रणजीत
7. गुड्डी देवी पत्नी भोला
8. गोपाल पुत्र भोला } नाबालिक जरिए प्राकृतिक संरक्षक माता गुड्डी देवी पत्नी भोला
9. ज्योति } पुत्रियां भोला
10. सन्दीप
11. फतेह चन्द } पुत्रान बिहारी दास
12. दीपू
13. विमला देवी पत्नी सुरजदास
14. शंकर } पुत्रान सुरजदास
15. सम्पत

(क्रम 1 से 15) } समस्त जाति स्वामी निवासी जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर

16. सुमित्रा पुत्री सुरजदास पत्नी बोदूराम
17. मूर्ति पुत्री सुरजदास पत्नी भैंरू
18. कृपा पुत्री सुरजदास पत्नी प्रकाश
19. मुनेश पुत्री सुरजदास पत्नी रोताश

(क्रम 16 से 19) } जाति स्वामी निवासी पण्डितपुरा तहसील कोटपूतली

20. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
21. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर तहसील विराटनगर
22. पटवारी, पटवार हलका जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 108/2011 **दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री गोपाल टांक एडवोकेट** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री मनदलाल जाट एडवोकेट कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम जयसिंहपुरा के खसरा नम्बर 1388/1.40, 1389/0.01, 1390/0.66 हैक्टेयर किता 3 रकबा 2.07 हैक्टेयर कानूनी बंटवारा किया जाकर पृथक से बटा नम्बर डालकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमया जावे कि वादी को बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बर/रकबा का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें।

राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट जयसिंहपुरा में मजमा–ए–आम उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। उभय पक्षकारान द्वारा मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव कानूनी बंटवारा किये जाने का निवेदन किया गया।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर
1	महेश कुमार, फूलचन्द पिता रामनाथदास हिस्सा 1/2,दिनेश देवी पत्नी रणजीत, पंकज, प्रदीप पिता रणजीत, लक्ष्मी पुत्री रणजीत हिस्सा 1/4, गुड्डो पत्नी भोला, गोपाल पिता भोला, ज्योति, सन्दीप पुत्री भोला हिस्सा 1/4	1388/0.5150 हैक्टेयर
2	विमला देवी पत्नी सूरजदास, शंकर, सम्पत पिता सूरजदास, सुमित्रा, मूर्ति, कृपा, मुनेश पुत्री सूरजदास	1988/1/0.5150 हैक्टेयर
3	हनुमानदास पिता मूलादास	1388/2/0.25, 1390/0.2650 हैक्टेयर किता 2 रकबा 0.5150 हैक्टेयर
4	फतेहचन्द, दीपू पिता बिहारीदास	1388/3/0.12, 1390/1/0.3950 हैक्टेयर किता 2 रकबा 0.5150 हैक्टेयर
5	शामलाती जमाबन्दी खाता 242 अनुसार	1389/0.01 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि बैंक रहन हो, तो संबंधित पक्षकार को बंटवारे में प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 20.06.2018 को मजमा–ए–आम कैम्प जयसिंहपुरा में सुनाया

(मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य.................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 20.06.2018** को जारी की गई।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर